



आदेश

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर में संचालित नर्सिंग कालेज में नर्सिंग शिक्षक/ट्यूटर के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे/नियुक्त किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या-प्रधानाचार्य/नर्सिंग कालेज/विज्ञापन/2026/653, दिनांक 19-02-2026 को प्रकाशित की गयी थी। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट संख्या- 18750/2025 संजय कुमार यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व 3 अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-02-2026 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
शाहजहाँपुर।

तददिनांक

पत्रांक: प्रधानाचार्य/नर्सिंग कालेज/विज्ञापन/2026/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट <https://dgme.up.gov.in> पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शाहजहाँपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जिला शाहजहाँपुर की वेबसाइट <https://shahjahanpur.nic.in> पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. समस्त राजकीय एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5. वेबसाइट इंचार्ज, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की इस विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त नोटिस बोर्ड, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर।

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
शाहजहाँपुर।